



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 22.12.2020

1-थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 22.12.2020 को थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी विक्रम पुत्र जगत सिंह नि० ग्राम कामबख्सपुर थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर सम्बन्धित मु०अ०स० 318/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट को सेक्टर 150 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

विक्रम पुत्र जगत सिंह नि० ग्राम कामबख्सपुर थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर

अपराधिक इतिहास का विवरण -

- 1.मु०अ०स० 318/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर
- 2.मु०अ०स० 62/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०स० 1197/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

2-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा बहुचर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21/12/2020 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा बहुचर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड मे वांछित 01 अभियुक्त रवि पुत्र कृष्णपाल सिंह चौहान निवासी म०नं०-101, गगन इन्कलेव रोहटा रोड थाना टीपी नगर जनपद मेरठ को थाना क्षेत्र के फोर्टिस अस्पताल के पास सेक्टर-62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वासुकीनाथ तिवारी व गुलाब जाट हम तीनों पहले आदित्य वर्ड सिटी एनएच 24 गाजियाबाद में साथ रहते रहे हैं। मैं फ्लैट नं0 ई 401 में रहता था तथा गुलाब व विसुकीनाथ तिवारी ई 1505 में रहते थे। ई-1505 में उसका भाई नरेन्द्र फोजी भी रहता था। गुलाब व वासुकीनाथ तिवारी पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। हमारी दोस्ती यही पर गुलाब व वासुकीनाथ से हुई थी क्योंकि हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे। गुलाब चोरी की गाड़ी खरीदने व बैचने का धंधा करता है। वासुकीनाथ तिवारी से ही हम दोनों की बातचीत हुई थी। वासुकीनाथ तिवारी ने बताया था कि हमारे दोस्त गाड़ी की लूट करने की योजना बना रहे हैं, आप लोगो की जिम्मेदारी है गाड़ियो को ठिकाने लगवाने की है। इस घटना के सम्बन्ध में भी विसुकीनाथ तिवारी ने गुलाब को ओर मुझे बताया था वासुकीनाथ तिवारी मौ0 नसीम सेख व समीम शेख आदि दोस्तो के साथ जायलो कार से लूटी गयी क्रेटा कार का सौदा करने मेरठ आये थे। पहले एक लाख 30 हजार रुपये में क्रेटा खरीदने की बात गुलाब से हुई थी, किन्तु बाद में गुलाब एक लाख रुपया ही क्रेटा के देना चाहता था, इसलिये बात बन नहीं पायी थी बाद में पता चला कि वासुकीनाथ तिवारी व उसके सभी साथी जिन्होंने आपके यहां क्रेटा कार लूटने की घटना की थी पकड़े गये हमारी यही गलती है कि मुझे वासुकीनाथ तिवारी द्वारा की गयी घटना की जानकारी थी तथा लालच में आकर मैंने गुलाब के साथ वासुकीनाथ तिवारी से लूट की गाड़ी खरीदने की बातचीत की थी तथा पूछने पर बताया कि गुलाब ही गाड़ियो की खरीद फरोख्त का धंधा करता है। तथा बताया कि मैं वर्ष 2019 में थाना कंकडखेड़ा के 2018 के धारा 306 भादवि के केस में जेल गया था तथा गुलाब करनाल के विषय में पूछने पर बताया कि गुलाब के पिता का नाम चन्द्र सिंह (जाट) है। वर्तमान में संजय चौक पानीपत हरियाणा में रह रहा है। इस प्रकार अभियुक्त अपने जुर्म का इकवाल करते हुए मुकदमा उपरोक्त की घटना में लूटी गयी क्रेटा गाड़ी की खरीद फरोख्त में शामिल होने की बात स्वीकार कर रहा है। अतः अभियुक्त भी धारा 120 बी भादवि के अन्तर्गत उपरोक्त घटना में दोषी है। अभियुक्त थाना सेक्टर 58 पर पंजीकृत मु0अ0सं0-452/20 धारा 396, 412, 120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

रवि पुत्र कृष्णपाल सिंह चौहान निवासी म0नं0-101, गगन इन्कलेव रोहटा रोड थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0-452/20 धारा 396, 412, 120बी भादवि थाना सेक्टर-58 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-1145/18 धारा 306 भादवि थाना कंकडखेड़ा मेरठ।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में दिनांक 22.12.2020 को 305 व्यक्तियों का चालान किया गया व 30500/- शमन शुल्क वसूला गया।